

पुलिस हस्तक नियम 1076(ग) में वर्दी एवं साज-सज्जा के कय के विषय में यह निर्देश है कि निविदाओं के अनुमोदन के पश्चात् सभी चुने हुए अर्दों के एक-एक नमूने आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक प्रोविजन) की उपस्थिति में मुहरबन्द कर दिये जायेंगे। आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) इन्हें अपने कार्यालय में रखेंगे। जिन वस्तुओं की खरीद सीधे जिलों के द्वारा ठिकेदारों से की जानी है उनके संबंध में यह निर्देश है कि चुने हुए वस्तुओं के नमूने पर्याप्त संख्या में ठिकेदार देंगे। उन्हें भी समरूप ढंग से मुहरबन्द किया जायगा। नमूनों का एक सेट आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के कार्यालय में रख लिया जायगा और शेष को जिलों/इकाईयों को वितरित कर दिया जायगा।

इन नमूनों को वट में रख होने वाले अर्दों से मिलान के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना है। ऐसे प्राप्त अर्दों, जिन्हें केन्द्रीय भंडार में प्राप्त होना है, की तुलना नमूनों से भंडार के प्रभारी पदाधिकारी तथा आरक्षी महानिरीक्षक (सम्प्रति महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक) द्वारा नामजद दो अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जायगा। महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त विधि से गठित समिति प्राप्त अर्दों की जांच भली भांति उपलब्ध नमूनों से तुलना कर करेगें यह जांच पुलिस हस्तक नियम 1044 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप होनी है।

वर्तमान में जिला पुलिस केन्द्रीय पुलिस की वाहनियों को आपूर्ति किये जाने वाले वस्त्र एवं उपस्कर केन्द्रीय स्तर पर खरीदे जाते हैं। इन निविदाओं के अनुमोदनोपरान्त चुनी हुई अर्दों का एक-एक नमूना आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा मुहरबन्द किया जाता है और उसे केन्द्रीय वस्त्र भंडार में रखा जाता है। जो मद गृह रक्षा वाहिनी की आपूर्ति से संबंधित है उनके दो-दो नमूने मुहरबन्द कर रखे जाते हैं।

केन्द्रीय निरीक्षण समिति आपूर्ति मर्दों को रेन्डम तरीके से जांच कर उन्हें अनुमोदित करती है। यह इसलिए किया जाता है कि वस्त्र एवं संख्या अधिक होने के कारण सभी आपूर्ति सामानों को एक-एक करके देखना संभव नहीं हो पायेगा। इस स्थिति में ठिकेदारों द्वारा आपूर्ति सामानों, कुछ धटिया किस्म के सामान दिये जाने की संभावना बनी रहती है। सामानों को केन्द्रीय वस्त्र भंडार से जिला/इकाईयों के द्वारा संकलन के पश्चात् रास्ते में बदलने की संभावना बनी रहती है। इस संभावना से निपटने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :-

1. पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुसार आपूर्ति आदेश के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति के पश्चात् केन्द्रीय वस्त्र भंडार के प्रभारी सामान का निरीक्षण करेंगे। यह निरीक्षण यद्यपि उन्हें पुनः उक्त नियम के अनुसार समिति के सदस्य के रूप में भी करना है, तथापि यह आदेश दिया जाता है कि वे पहले अपने स्तर पर संख्या एवं गुणवत्ता दोनों का आकलन आपूर्ति सामान के संबंध में करने के पश्चात् आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रोविजन) के कार्यालय से केन्द्रीय निरीक्षण समिति को उक्त नियम के अनुसार निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे।

पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुरूप केन्द्रीय निरीक्षण समिति सामानों का निरीक्षण करेगी। यहां यह बात ध्यान रखनी होगी कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर को अपने स्तर पर निरीक्षण समिति को आमंत्रित करने के पूर्व अनुमोदन समान एवं गुणवत्ता दोनों के प्रति केवल आश्वस्त होने का दायित्व दिया गया है न की उसे अस्वीकृत करने का। अगर वे ऐसा महसूस करते हैं कि आपूर्ति सामान गुणवत्ता अथवा संख्या में कम है और आपूर्तिकर्ताओं के अनुरोधों को अपने आमत्रण पत्र में इस बात का उल्लेख करते हुए उ0म0नि0 (प्रोविजन) को सूचित करेंगे। केन्द्रीय निरीक्षण समिति जब निरीक्षण करेगी तो इस बात का ध्यान रखेगी। यह भी आदेश दिया जा रहा है कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर केन्द्रीय निरीक्षण समिति का एक सदस्य रहेंगे।

केन्द्रीय निरीक्षण समिति आपूर्ति सामानों में से निविदा के निर्णय के समय आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के द्वारा अनुमोदन स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार उतनी ही संख्या में और नमूने बनाएगी जितने जिला एवं इकाई होंगे। इन नमूनों पर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।

2. मर्दों के अर्दों के उपरान्त सभी जिलों/इकाईयों से आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा/ प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रीय वस्त्र भंडार से सामानों का संकलन आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक समादेष्टा एवं परिचारी प्रवर, वस्त्र प्रभारी/गृह पाल अ0नि0(स0) के द्वारा ही किया जाय। यदि सम्बन्धित जिलों/इकाईयों के उपा0 तथा परिचारी प्रवर/प्रभारी परिचारी, गृह पाल अ0नि0 (स0) नहीं आते तो मर्दों की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार से नहीं की जायेगी।

3. जिला/इकाई आपूर्ति सामानों के साथ-साथ एक नमूना जिसपर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा उसे अपने साथ ले जायेंगे। केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना में उपलब्ध नमूनों से मिलान कर ही सामान ले जाने वाले पदाधिकारी सामानों का संकलन करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत चालान पर अंकित करेंगे कि 'सामानों का मिलान नमूनों से कर लिया गया है तथा सामान नमूनों के अनुरूप है और सही हालत में आवंटित संख्या के अनुरूप उन्होंने प्राप्त किया।'

1. विद्या-इकाईयों के आ0म0नि0 समारोहों का आयोजन करने के लिए एक स्थानीय निगम को गठन करेंगे जो केंद्रीय बस्त्र भंडार, पटना में संकलित सामानों का निर्माण करेंगे। उर्गा क्रम में वे प्राप्त सामानों की तुलना उपलब्ध नमूनों से करेंगे। उनके निर्माण के पश्चात् ही संकलित सामान जिलों/इकाईयों के भंडार में रखा जायगा। आरक्षी अधीक्षक/समारोह/प्राचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय को समर्पित करेंगे कि संकलित सामान नमूनों के अनुरूप एवं उल्लेखित मात्रा में सही सही पाया गया।

*(Handwritten Signature)*  
9/11/2001  
(आर0 आर0 प्रमाद)

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,  
विहार, पटना।

ज्ञापक.....57...../आपूर्ति दिनांक 09-01-2001

70 1 79 2000

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, विहार, पटना।

- प्रतिलिपि: 1. गृह सचिव, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आरक्षी महानिदेशक, सैन्य पुलिस, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  3. सभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
  4. प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
  5. आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे को सूचनार्थ प्रेषित।
  6. आरक्षी महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, उत्तरी क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
  7. आरक्षी महानिरीक्षक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।
  8. सभी क्षेत्रीय/मंडलीय/रेलवे ड0म0नि0 को सूचनार्थ प्रेषित।
  9. सभी आरक्षी अधीक्षक/समारोहों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
  10. प्राचार्य पी0टी0सी0 नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
  11. आरक्षी उपाधीक्षक, परिवहन मुख्यालय/परिचारी प्रवर, केंद्रीय आयुध भंडार/रक्षित पदाधिकारी म0नि0 एवं आ0म0नि0 कार्यालय, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
  12. आरक्षी उपाधीक्षक, केंद्रीय बस्त्र भंडार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- ✓ प्रशाखा पदाधिकारी, पी। प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

*(Handwritten Signature)*  
9/11/2001  
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,  
विहार, पटना।